झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–10

पंचम (बजट) सत्र
मंगलवार, दिनांक–10 मार्च, 2026 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 04.29 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

(सदन आरम्भ होते ही राज्य में लचर व्यवस्था एवं अफसरशाही के विषय पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री बाबूलाल मराण्डी ने आसन की अनुमति से अपनी बातों को सदन के समक्ष रखा तथा सारे कार्यों को रोककर इसपर चर्चा कराये जाने का अनुरोध किया तदुपरांत माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर ने इसका खंडन करते हुए सरकार का पक्ष रखा, इसी क्रम में पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों के बीच तीखी नोंक–झोंक शुरू हुआ तथा माननीय सदस्य, श्री निर्मल महतो अपनी बातों को लेकर वेल में आ गये एवं संसदीय गरिमा के विरूद्ध आचरण करने लगे जिसे असंसदीय व्यवहार मानते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से उन्हें मार्शल आउट कर दिया गया। पुनः विपक्षी दल के माननीय सदस्यों सहित नेता प्रतिपक्ष के आग्रह एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री की सहमति से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य, श्री निर्मल महतो को सदन में लाने का आदेश प्राप्त होने पर माननीय सदस्य, श्री निरल पुरती तथा माननीय सदस्य, श्री अमित कुमार यादव के द्वारा उन्हें सदन में ससम्मान लाया गया।)

1.प्रश्नकालः–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–17)

(क) उत्तरित कुल–03

क्रम सं०–58,	अ०सू०–10	श्री अरूप चटर्जी, (दिनांक–24.02.2026 से स्थगित।)	स०वि०स०,
क्रम सं०–132,	अ०सू०–03	श्री चन्द्रदेव महतो,	स०वि०स०,
क्रम सं०–133,	अ०सू०–08	श्री हेमलाल मुर्मू,	स०वि०स०।

(ख) स्थगित मात्र–01

क्रम सं०–134,	अ०सू०–14	श्री प्रदीप यादव,	स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल–13,

क्रम सं०–135 से क्रम सं०–147 तक।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–69)

(क) उत्तरित मात्र–01

क्रम सं०–394, श्री देवेन्द्र कुंवर, स०वि०स०।

(ख) स्थगित कुल–02,

क्रम सं०–395, श्री प्रकाश राम, स०वि०स०,
क्रम सं०–396, श्री उदय शंकर सिंह, स०वि०स०।

(ग) अनागत कुल–66,

क्रम संख्या–397 से क्रम सं०–462 तक।

2.शून्यकाल–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाएँ निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयीः–

डॉ० नीरा यादव,
डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,
श्रीमती सबिता महतो,
श्री नागेन्द्र महतो,
श्रीमती पूर्णिमा साहू,
श्री अनन्त प्रताप देव,
श्रीमती ममता देवी,
श्री सुदीप गुड़िया,
श्री दशरथ गागराई,
श्री सुरेश कुमार बैठा,
श्री धनंजय सोरेन,
श्री अरूप चटर्जी,
श्री नरेश प्रसाद सिंह,
श्रीमती श्वेता सिंह,
श्री जयराम कुमार महतो,
श्री अमित कुमार,
श्री निर्मल महतो,
श्री हेमलाल मुर्मू,
श्री जिगा सुसारन होरो,
श्री अमित कुमार यादव,
श्री मथुरा प्रसाद महतो,
श्री राज सिन्हा(अपृष्ठ),
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,
श्री सुरेश पासवान,
श्री समीर कुमार मोहन्ती।

3.ध्यानाकर्षण की सूचनाएँ:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिये गये वक्तव्य निम्नवत् हैं–

I-माननीय सदस्य, श्री उमाकान्त रजक एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

II-माननीय सदस्य, श्री राम सूर्या मुण्डा एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

4.प्रथम पाली की सूचनाः–

माननीय सदस्या, श्रीमती पूर्णिमा साहू द्वारा अपने अल्पसूचित प्रश्न के लिखित उत्तर प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में आसन को सूचित किया गया जिसपर आसन द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त कर उन्हें सूचित करने का आश्वासन दिया गया,

माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने आसन को अवगत कराया कि माननीय सदस्य, श्री मथुरा प्रसाद महतो द्वारा सदन में उठाये जा रहे माननीय सदस्यों, पूर्व माननीय सदस्यों एवं पूर्व सांसदों को सहकारी समिति के द्वारा शहर के अन्दर जमीन उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध पर कहा कि मुझे ही जमीन रजिस्ट्री करना है परन्तु पोर्टल खुलवाने के सम्बन्ध में मैंने रॉची जिलाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी तथा माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनके समक्ष इस बात को रखी है तत्पश्चात् आसन द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री से इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने पर उनके द्वारा इसे तीन दिनों में खुलवाने का आश्वासन दिया गया,

माननीय सदस्य, श्री प्रदीप यादव द्वारा सूचना के माध्यम से सदन से अनुरोध किया गया कि 60 किमी. के दायरे में सिर्फ एक टोल प्लाजा होंगे, सम्बन्धी केन्द्रीय परिवहन मंत्री के स्पष्ट आदेश के बावजूद मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सरैयाहाट एवं पोड़ैयाहाट में टोल प्लाजा लगाये गये हैं जिसकी दूरी मात्र 26 किमी. है। पोड़ैयाहाट टोल प्लाजा को हटाने की माँग को लेकर 10 हजार से ज्यादा लोग वहाँ धरने पर बैठे हैं। उनकी माँगों को देखते हुए तथा केन्द्र सरकार के आदेश अन्तर्गत पोड़ैयाहाट टोल प्लाजा को बन्द करने की दिशा में सरकार यथाशीघ्र कदम उठाये। जिसपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर ने समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

5.वित्तीय कार्यः–

आसन द्वारा पुकारे जाने पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के माननीय प्रभारी मंत्री, श्री संजय प्रसाद यादव द्वारा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 11,68,73,20,000/–(ग्यारह अरब, अड़सठ करोड़, तिहत्तर लाख, बीस हजार) रूपये से अनधिक राशि की माँगें प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो द्वारा इस माँग से सम्बन्धित कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(अन्तराल)

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

6.वित्तीय कार्य(क्रमांक–5 से जारी):–

आसन द्वारा पुकारे जाने पर अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अनुदान की माँग पर वाद–विवाद में माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो द्वारा चर्चा प्रारम्भ किया गया जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी भाग लियाः–

श्री दशरथ गागराई,
श्री आलोक कुमार चौरसिया,
श्री प्रदीप यादव,
श्री सुरेश पासवान,
श्री अरूप चटर्जी,
श्री जनार्दन पासवान,
श्री सरयू राय,
श्री सुदीप गुड़िया,
श्रीमती रागिनी सिंह,
श्री जगत मांझी।

(इस अवसर पर सदन की सहमति से सरकार के उत्तर पर्यन्त सभा का समय विस्तारित किया गया।)

वाद–विवाद के उपरांत माननीय प्रभारी मंत्री, श्री संजय प्रसाद यादव द्वारा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की माँग पर सभा में सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

माननीय सदस्य, श्री जयराम कुमार महतो द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय के समुचित आश्वासन के पश्चात् वापस लिया गया तदुपरांत सभा द्वारा माँग स्वीकृत हुई।

(सरकार के उत्तर के क्रम में विपक्षी दल के अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–11.03.2026 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–10 मार्च, 2026 ई०।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।